26

संख्या : 1634 /IV(2)-श0वि0-2016-09(सा0)13टी0सी0

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 19 सितम्बर, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर पंचायत, डीडीहाट हेतु स्वीकृत "विभिन्न वार्डों में नाला निर्माण योजना" हेतु तृतीय किस्त की धनराशि की की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 210/IV(2)-2014-09(सा0)13टी0सी0, दिनांक 04.03.2014 एवं संख्याः 202/IV(2)-2014-09(सा0)13टी0सी0, दिनांक 05.02.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नगर पंचायत, डीडीहाट के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में नाला निर्माण कार्य हेतु ₹ 171.29 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 40.29 लाख एवं ₹ 65.71 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 106.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में अध्यक्ष, नगर पंचायत, डीडीहाट के पत्रांक- 751/अवस्थापना/2016, दिनांक 04.09.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, डीडीहाट को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि ₹ 65.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किस्त के रूप में **कुल ₹ 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि **कुल ₹ 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, डीडीहाट को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. **उक्त स्वीकृति के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू. 15.00 लाख की स्वीकृति अधिशासी अभियंता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराण्ड द्वारा निर्माण कार्य के स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार प्रदान की जायेगी।**

III. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

IV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

V. पूर्व निर्गत शासनादेशों दिनांक 04.03.2014 एवं दिनांक 05.02.2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

VII. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..2/-....

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे **₹ 39.50 लाख, अनुदान सं0–30** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'42–अन्य व्यय के नामे **₹ 9.00 लाख** तथा **अनुदान सं0–31** के लेखाशीर्षक– 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191– स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास ''–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे **₹ 1.50 लाख** डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.16091303103., S.163092003014... एवं S.16093101305.... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–1634(1)/IV(2)-श0वि0–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अभियंता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि शासन के पूर्व पत्र दिनांक 23.02.2016 के क्रम में प्रश्नगत योजना/निर्माण कार्य का निरीक्षण कर आख्या यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डीडीहाट।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।